सं.सं0–7 / विविध(क्रय)–26–06 / 2012 1737

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना ।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना ।

अधीक्षक, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी, पटना ।

पटना, दिनांक 23 / 11 / 2012

विषय :– गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी, पटना के दवा क्रय हेतु क्रय समिति का गठन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला स्तर पर दवा क्रय हेतु स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–379(9) दिनांक 16.08.2002 एवं संशोधित पत्रांक–73(9) दिनांक–28.01.2006 द्वारा असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्रय समिति निम्नरूपेण गठित है :–

1.	**असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी**	**अध्यक्ष**
2.	**अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी**	**सदस्य सचिव**
3.	**सदर अस्पताल के उपाधीक्षक**	**सदस्य**
4.	**जिला उद्योग पदाधिकारी**	**सदस्य**
5.	**औषधि निरीक्षक**	**सदस्य**

इस बीच गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी, पटना को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना से सम्बद्ध किये जाने के फलस्वरूप दिनांक–16.07.12 को प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी, पटना के कार्यकलापों की समीक्षात्मक बैठक में उक्त अस्पताल के अधीक्षक द्वारा बताया गया कि सिविल सर्जन, पटना द्वारा दवा की आपूर्ति की जाती है जो समय से उपलब्ध नहीं हो पाता है ।

अतः बैठक की अनुशंसा के आलोक में निर्णय लिया गया कि अधीक्षक, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी, पटना की अध्यक्षता में एक क्रय समिति का गठन किया जाय जो राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना द्वारा निर्धारित दर पर दवा क्रय करेंगे । तदनुसार गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी, पटना के लिए क्रय समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:–

1.	अधीक्षक गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी, पटना	अध्यक्ष
2.	सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना द्वारा नामित चिकित्सक	सदस्य
3.	जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनित पदाधिकारी	सदस्य
4.	जिला उद्योग पदाधिकारी	सदस्य
5.	औषधि निरीक्षक	सदस्य

2. यह क्रय समिति गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी, पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना से सम्बद्ध रहने की तिथि तक कार्यरत रहेगी । उसके बाद यह स्वतः भंग हो जायेगी ।

3. विभागीय पत्रांक–379(9) दिनांक–16.08.2002 में क्रय नीति के निर्धारण से संबंधित सभी शर्त्तें यथावत रहेंगी

विश्वासभाजन,

23/11/2012

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 1737 पटना, दिनांक– 23 -11 -12

प्रतिलिपि– प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना/ वित्त विभाग/ उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि– सचिवालय स्तर के सभी पदाधिकारी/ निदेशालय स्तर के सभी पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/11/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

E\Purchage Committee